

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग।

अधिसूचना

- एस0 ओ0 69 दिनांक 10 — 3 — 2010 झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, परमहंस योगानन्द पथ, ओल्ड हजारीबाग रोड, राँची को Audio and Video Cassettes and Compact Discs, Calendars, Laminated Photographs, Pendants, Mementos and Arm-Rests के बिक्री पर तथा Medicines & Medical Equipments, Items used for Charitable purpose and Vehicles & Part thereof की खरीद पर मूल्यवर्द्धित कर से कुल मिलाकर 3 (तीन) लाख वार्षिक की अधिकतम सीमा तक विमुक्ति प्रदान करते हैं।
2. योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, राँची वार्षिक रिपोर्ट आवश्यक कागजातों के साथ (खरीद/ बिक्री से सम्बन्धित) सम्बन्धित अंचल/मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
3. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी एवं दिनांक 31.03.2012 तक प्रवृत्त रहेगी।

घोषणा पत्र

अधिसूचना सं०
पुस्तिका सं०

एस0 ओ0
प्रपत्र सं०

दिनांक

सेवा में,


इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बिल /कैशमेमो संख्या दिनांक रु..... द्वारा खरीदा/बेचा गया माल योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, परमहंस योगानन्द पथ, ओल्ड हजारीबाग रोड, राँची के उपयोग के लिए है तथा वे अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 दिनांक.....द्वारा आच्छादित है।

स्थान
तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

(संचिका संख्या वा0कर1/वैट /विमुक्ति /4 /2009)
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अरुण कुमार सिंह)
सचिव-सह-आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।